भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 156
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं

†*156.श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति/मंजूरी के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में विभिन्न पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों द्वारा शुरू की गई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण/आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं" के संबंध में संसद सदस्य श्री पुट्टा महेश कुमार और श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 156 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारत में तेल और गैस क्षेत्र विनियमन मुक्त है, और ग्रीनफील्ड (नई परियोजना) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा संयंत्र का क्षमता विस्तार) परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय संबंधित तेल और गैस कंपनियों के बोर्ड द्वारा लिया जाता है। सरकार की भूमिका केवल एक सहायक की होती है। चूंकि, तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड द्वारा चालित सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध वाणिज्यिक कंपनियां हैं, इसलिए इन सीपीएसई बोर्ड को परियोजना की प्रकृति और प्रकार, केपेक्स, तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि का निर्णय लेने में प्रचालन स्वायत्तता प्राप्त है। संबंधित सीपीएसईज बोर्ड प्रचालन दक्षता बढ़ाने, प्रचालन लागत कम करने, मांग की पूर्ति करने, इसकी लाभप्रदता और अन्य सामाजिक-आर्थिक लाभों को बनाए रखने के लिए नए स्रोतों के अन्वेषण हेतु परियोजनाओं के निष्पादन की प्रकृति, अर्थात् ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेता है।

ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमति/मंजूरी परियोजनाओं के प्रकार और प्रकृति, स्थान, राज्य, विषय संबंधी विधि/सांवधिक अपेक्षाओं पर निर्भर करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंजूरी, तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू), उपयोग का अधिकार (आरओयू), विस्फोटक और सुरक्षा अनुमोदन, क्रॉसिंग अनुमति आदि शामिल हैं।

सरकार द्वारा बनाए गए परियोजना निगरानी संबंधी परियोजना पोर्टल (www.npariyojana.gov.in) पर संकलित सूचना के अनुसार, 5.65 लाख करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत के साथ 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली कुल 145 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनमें से 2.84 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 78 परियोजनाएं ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाएं हैं और 2.81 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 67 परियोजनाएं ब्राउनफील्ड (क्षमता विस्तार) परियोजनाएं हैं।

वर्ष 2014 से अब तक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली कुल 379 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी कुल लागत 4.86 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 2.52 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 225 परियोजनाएं ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं और 2.34 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 154 परियोजनाएं ब्राउनफील्ड परियोजनाएं हैं।

पिछले पांच वर्षों से तेल और गैस सीपीएसईज अपने वार्षिक आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर/कैपेक्स) के लक्ष्य को लगातार बढ़ा रही है। आईईबीआर कैपेक्स की उपलब्धि नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**% उपलब्धि**
2019-20	93639	105603	113
2020-21	98522	111194	113
2021-22	104620	107968	103
2022-23	111354	119027	107
2023-24	106401	136821	129
2024-25	118499	97667*	83

* **दिनांक** 30.11.24 **की स्थिति के अनुसार**

तेल और गैस सीपीएसई के पास अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। सरकार ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल (www.pariyojana.gov.in), आवधिक समीक्षा बैठकों और साइट दौरे के माध्यम से मुद्दों के समाधान के लिए सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करती है, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी हो पाने में समर्थ हो जाती है। इसके अलावा, सरकार प्रगति और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की समीक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय और अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करने हेतु सीपीएसई को सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करती है।

*****